Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

रमेश पुरी बनाम **नरेन्द्र कुमार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत धारा : 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** नं0 **009** सन **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। अपीलार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। वकील प्रत्यर्थी हाजिर। वकील अपीलार्थी दिनांक 08.04.2025, 21.05.2025, 19.08.2025, 26.08.2025 व आज भी हाजिर नहीं। पूर्व में न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत भी आज भी अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर नहीं। वकील प्रत्यर्थी हाजिर। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी न्यायालय आदेश दिनांक 19.09.2023 से अपीलार्थी संख्या 4 के विधिक वारिसान, 5/2, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 7, 8, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6 की और से अधिकार पत्र पेश करने में असफल रहे है। इस बाबत् अधिवक्ता अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा समय–समय पर हिदायत दी जाती रही है, किन्तु आज दिनांक तक अधिवक्ता अपीलार्थी अपीलार्थीगण की और से अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये है। जबकि प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 4/1 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.08.2019 अपील प्रस्तुत नहीं किया जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी आज दिनांक तक इस बाबत् स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके है और लगातार अनुपस्थित चल रहे, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को व्यतिक्रम में खारीज किये जाने के अतिरिक्त न्यायालय के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है एवं हस्तगत अपील अपीलार्थी चलने योग्य नहीं है, अतः अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 **Default** (व्यतिक्रम) में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 **Default** (व्यतिक्रम) में खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **-S/d-** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 16.09.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official